विभाजन वाद संख्या 30 / 2020
दिनांक 05.01.2024

न्यायालयः अवर न्यायाधीश अरेराज,पूर्वी चम्पारण।

आदेश

दिनांकः 05.01.2024 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामला वादी की तरफ दिनांक 30.10.2023 को आदेश 22 नियम 4 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन के आदेश हेतु निर्धारित है।

वादी ने अपने आवेदन में कहा है कि प्रतिवादी संख्या 18 रामनरेश तिवारी की मृत्यु दिनांक 21.08.2023 को हो गयी है। उनका नाम काटते हुए उनके वारिसान एक मात्र पुत्र अंश कुमार एवं उनकी पत्नी मंजु देवी का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा किया जाए।

प्रतिवादी ने आवेदन पर आपत्ति जाहिर नहीं की इसलिए उन्होंने प्रतिउत्तर नहीं प्रस्तुत किया ।

उभय पक्षों को सुना, मामले में अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद 4 वर्ष पुराना है वादी के आवेदन के अनुसार प्रतिवादी संख्या 18 रामनरेश तिवारी की मृत्यु दिनांक 21.08.2023 को हो गयी है। उनका नाम काटते हुए उनके वारिसान एक मात्र पुत्र अंश कुमार एवं उनकी पत्नी मंजु देवी को प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक है। मामले में चूंकि आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है और प्रतिवादी ने भी इस पर किसी तरह का कोई आपत्ति नहीं दर्ज करायी अतः न्यायहित में वादी का आवेदन स्वीकृत किया जाता है वादी को निर्देश दिया जाता है कि अग्रिम तिथि तक मरम्मती संबंधी समस्त प्रकिया पूर्ण करें और एतद द्वारा यह आवेदन का निपटारा किया जाता है। वाद दिनांक ....वास्ते अग्रिम कार्रवाई ।

स्थानः अरेराज
पूर्वी चम्पारण।

लेखापित व संशोधित

मनीष कुमार पाण्डेय
अवर न्यायाधीश
अरेराज,पूर्वी चम्पारण।